

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

क्र. नं 13/17 तारीख 3.4.17

उनवान - शंकर लाल बनाम हरिलाल के  
बहादुरपुर

प्रार्थना पत्र आस्थापी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत चार 212 RA Act

प्रार्थी की ओर से राममोहनी गुप्ता Adv. ने प्रार्थना पत्र आस्थापी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत शपथ पत्र एवं जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वसील की एक तरफ बहस सुनी गयी। ग्राम बहादुरपुर की भूमि ख. नं 442, 444, 445 किस्म जै. भू. तलाई व ख. नं 0.05, 0.10, 0.06 किस्म जै. भू. तलाई व ख. नं 438/1717 स्कवा 0.11 ऐयर किस्म जै. भू. रास्ता पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने जा. ही अवकक्ष करेन जैर सापलान को आगाभी सुतवाई त्रिपि तक अन्तरिम आस्थापी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र कर जैर सापलान को नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 13.4.17 को पेश हो।



उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)


1133-37

3.4.17

3.4.17) कादी वकील उपस्थित। अधीन नं. 1, 2, 3 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने तथा अधीन नं. 4, 5 की ओर से श्री राधाप्रण शर्मा Adv. ने बकायत नाम पेश किये। अन्तर्ग आस्थापी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। बहस जखब पेश किये दि. 28.4.17 को पेश हो। अधीन नं. 4 के वकील ने



# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
28-8-19	<p>वकूलाय उप०) बहस हेतु अवसर-चाहा। अवसर दिया गया। बहस हेतु दिनांक 30-8-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>७</u></p>
30-8-19	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पक्षी है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 27-9-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>७</u></p>
27-9-19	<p>वकूलाय उप०) बहस हेतु एक अवसर और-चाहा। समय दिया गया। बाकी बहस दिनांक 4-10-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>७</u></p>
4-10-19	<p>वकूलाय उपस्थित। मूल दावा विद्वो किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अर्थार्थ निवेदाना का प्रार्थना पत्र चलाये रखना उचित नहीं है। खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: right;">                       उपजिला कलक्टर                      टोडाभीम (करौली)                 </p>